भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 316149

32. ट्रस्ट जन सामान्य के निमित्त कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें/वस्तुयें लागत मूल्य पर देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण, पशु पालन आदि का प्रचार प्रसार करना।
33. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ पाने के लिए कार्य नही करेगा। ट्रस्ट जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
34. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
35. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
36. किसानों के उत्थान हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादित किए गये माल का आयात एवं निर्यात करना।
37. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश, देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना।
38. दलित पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
39. धरना प्रदर्शन कार्यक्रम गोष्ठी सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना।
40. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।
41. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा।
42. ट्रस्ट भारत वर्ष के बाहर कार्य नही करेगा।

नियमावली

1. प्रारम्भिक उपबन्ध –

प्रसन्न पटेल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AB 316610

3. प्रधान ट्रस्टी के मृत्योपरान्त सह ट्रस्टी प्रधान ट्रस्टी होगा तथा सह ट्रस्टी के प्रधान ट्रस्टी होने पर पूर्व प्रधान ट्रस्टी/न्यासकर्ता का बड़ा लड़का सह ट्रस्टी होगा। पुनः प्रधान ट्रस्टी के मृत्योपरान्त प्रधान संस्थापक/न्यासकर्ता का बड़ा पुत्र जो सह ट्रस्टी है प्रधान ट्रस्टी होगा और सह संस्थापक/सह न्यासकर्ता का छोटा पुत्र सह ट्रस्टी होगा। इसी क्रम में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधान ट्रस्टी व सह ट्रस्टी का क्रम चलता रहेगा।

4. यह कि प्रधान ट्रस्टी अपने जीवन काल तक के लिए अधिकार का हस्तान्तरण अपने बड़े लड़के के पक्ष में कर सकता है। ऐसा करने और उसको वास्तविक कार्यभार करा देने के पश्चात् पुनः विचार नहीं किया जा सकेगा। पूर्व प्रधान ट्रस्टी की मृत्यु होने पर पुनः प्रारम्भिक उपबन्ध की धारा 3 लागू होगी।

5. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किए गये है।

3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 होगी।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की

प्रसन्नपटेल

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AB 316613

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से डा0 प्रसन्न पटेल जो कि न्यास कर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने जीवन काल तक सह ट्रस्टी अथवा अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता है
3. प्रधान ट्रस्टी के मृत्योपरान्त प्रधान ट्रस्टी/न्यासकर्ता का बड़ा लड़का प्रधान ट्रस्टी होगा। इसी क्रम में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधान ट्रस्टी का क्रम चलता रहेगा।
4. प्रधान ट्रस्टी एवं सह ट्रस्टी संयुक्त रूप से ट्रस्ट सम्पत्ति का उपयोग एवं उपभोक लोक हित में करेंगे।
5. सह ट्रस्टी ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास के लिए ऋण, दान उपहार आदि प्राप्त करने में यथा सम्भव कार्य करने तथा ट्रस्ट के उत्थान एवं विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेगा।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर उत्तराधिकारी/हस्तानान्तरण –

1. यह कि प्रधान ट्रस्टी बिना सह ट्रस्टी के लिखित सहमति के ट्रस्ट के किसी सम्पत्ति का हस्तानान्तरण, रेहन या दान या वसीयत या अन्य किसी प्रकार मुन्तकिल करने का या उसे अधिभारित करने का अधिकार नही होगा यदि ऐसा करेगा तो कार्य शून्य एवं निष्प्रभावी होगा।

2. यह कि प्रधान ट्रस्टी सह ट्रस्टी की बगैर लिखित अनुमति या सहमति के कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे ट्रस्ट का हित प्रभावित हो।

प्रसन्नपटेल